



2026:AHC:17496

न्यायालय संख्या – 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 148 वर्ष 2026

आवेदक :- श्रीमती अमीन

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : शम्स उज़ ज़मां

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., मोहम्मद नौशाद, नूर अहमद

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स उज़ ज़मां, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नौशाद तथा राज्य की ओर से विद्वान विधि अधिकारी सुश्री इफराह इस्लाम को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।



3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - कैराना, जनपद - शामली के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 481 वर्ष 2025, धारा 103(1), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रही है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसका नाम केवल संदेह के आधार पर सामने आया है क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ बातचीत की थी। उक्त आरोप स्वतः ही असत्य हैं। आवेदक के विरुद्ध कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 11.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
6. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है और उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का आधार बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **श्रीमती अमीन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगी/उन्हें डराएगी नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)